

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. X, Fifth Session, 2021/1942 (Saka)
No. 5, Thursday, February 4, 2021/Magha 15,1942 (Saka)**

S U B J E C T**P A G E S****ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

* Starred Question Nos. 41 to 43 11-21

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos. 44 to 60 22-67

Unstarred Question Nos. 461 to 690 68-592

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 594-601

RESIGNATION BY MEMBER 602

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS

(i) 4th and 5th Reports 602

(ii) Statements 603

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

3rd and 4th Reports 604

**STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY,
ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE**

Action Taken Reports 605

STATEMENTS BY MINISTER 606-608

(i)(a) Status of implementation of recommendations contained in the 28th Report of Standing Committee on Energy on 'National Solar Mission-An Appraisal' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy 606

(b) Status of implementation of the recommendations contained in 22nd Report of the Standing Committee on Energy on 'Energy Access in India—Review of Current Status and role of Renewable Energy' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy 607

(c) Status of implementation of recommendations contained in 13th Report of the Standing Committee on Energy on 'Development and Status of Small Hydro Sector' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy 608

- (d) Status of implementation of recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Energy on 'Demands for Grants (2014-15)' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy 608

Shri R. K. Singh

**ARBITRATION AND CONCILIATION
(AMENDMENT) BILL, 2021** 609-612

**STATEMENT RE: ARBITRATION AND CONCILIATION
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2020** 613

MATTERS UNDER RULE 377 615-638

- (i) Regarding train services from Bengaluru to Katra

Shri Karadi Sanganna Amarappa 615

- (ii) Need to run Vande Bharat Express and Rajdhani Express on Delhi-Lucknow-Gorakhpur-Barauni Railway section and Shatabdi Express on Lucknow-Gorakhpur-Varanasi section

Shri Ravindra Kushwaha 616

- (iii) Need to make available the services of Pediatricians in rural areas of the country

Dr. Ramapati Ram Tripathi

617

- (iv) Need to restore stoppage of trains at Pulgaon and Hinganghat railway stations in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Ramdas Tadas

618

- (v) Need to construct an underpass or overbridge across National Highway No. 65 (Ambala-Hisar) in Haryana

Shri Nayab Singh Saini

619

- (vi) Need to start flight services from Bilaspur Airport, Chhattisgarh to different cities

Shri Arun Sao

620

- (vii) Regarding problems being faced due to human-animal conflict in Uttarakhand

Adv. Ajay Bhatt

621

- (viii) Regarding educating women on financial matters

Shrimati Meenakashi Lekhi

622

- (ix) Need to develop and operationalize Prithviganj Airport, Uttar Pradesh
Shri Sangam Lal Gupta 623
- (x) Need for railway line from Bar to Bilara via Jaitaran
Sushri Diya Kumari 624
- (xi) Need to constitute a Board to look into the possibilities of creating smaller States in the country
Kunwar Pushpendra Singh Chandel 625-626
- (xii) Regarding National Library Policy
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 627
- (xiii) Regarding construction of embankments along the course of Amanat and Koel rivers in Palamu Parliamentary Constituency, Jharkhand
Shri Vishnu Dayal Ram 628
- (xiv) Regarding Angamali-Sabarimala Railway Project
Adv. Dean Kuriakose 629
- (xv) Regarding repeal of agriculture law
Shri Benny Behanan 630

- (xvi) Regarding problems being posed by
Kodungaiyur dumping yard in Chennai

Dr. Kalanidhi Veeraswamy

631

- (xvii) Regarding cold chain facilities in Andhra
Pradesh

Shri Balashowry Vallabhaneni

632-633

- (xviii) Regarding merger of Public Sector Banks

Sushri Mimi Chakraborty

634

- (xix) Need to augment railway services in Thawe
junction in Gopalganj Parliamentary
Constituency, Bihar

Dr. Alok Kumar Suman

635

- (xx) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in
Bijnor Parliamentary Constituency, Uttar
Pradesh

Shri Malook Nagar

636

- (xxi) Regarding subsidy on Deep Sea Fishing

Shri K. Navaskani

637

- (xxii) Regarding Indian students pursuing Medical
Education in China

Shri Thomas Chazhikadan

638

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, February 04, 2021/ Magha 15, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at Sixteen of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 41, श्री रमेश बिधूड़ी ।

...(व्यवधान)

16.01 hrs

At this stage Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri Benny Behanan, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(Interruptions)

16.02 hrs**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 41, श्री रमेश बिधूड़ी।

(Q. 41)

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग लोगों के लिए ऐसी योजनाएं चलाई हैं, ...(व्यवधान) लोगों की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजनाएं चलाई हैं। ...(व्यवधान) हमारी साउथ दिल्ली पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूेंसी में एक हजार लोगों ने इन स्कीमों का फायदा भी उठाया है। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब वे दिव्यांग लोग रोड पर, हाइवे पर जाएं तो क्या टोल टैक्स में उनके लिए छूट की व्यवस्था हो सकती है? ...(व्यवधान) एक्ससेप्शनल केसेज में क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है? मैं माननीय मंत्री जी से ऐसा निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: An exemption from toll is already granted to the 'Divyangjan'. जहां तक दिव्यांगों का सवाल है, उनको टोल पर एग्जम्पशन हमने आलरेडी ग्रांट किया हुआ है।...(व्यवधान) जो रोड टैक्स पर एग्जम्पशन की बात है, वह स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू है। ...(व्यवधान) ग्यारह राज्यों ने अभी तक ऐसी एग्जम्पशन दी है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर ने अभी तक उनको यह एग्जम्पशन नहीं दी है।...(व्यवधान) निश्चित रूप से दिल्ली-एनसीआर में उनको इस प्रकार का

एग्जम्पशन रोड टैक्स में मिले, इसके लिए जरूर हम उनसे सिफारिश करेंगे। यह उनका अधिकार है।...(व्यवधान) निश्चित रूप से दिव्यांगों के प्रति हमने अनेक निर्णय किए हैं और दिव्यांगों के प्रति लगातार सरकार में सहानुभूति है। ...(व्यवधान) We have smoothened the process of application. A Committee has been formed for GST concession certificate for vehicle ownership. हम उसके लिए भी मदद कर रहे हैं और मोटर वेहिकल डिजाइन दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से बनाने के बारे में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बताया गया है। ...(व्यवधान) इसके साथ ही, detailed process for granting licence and registration certificates, के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यह व्यवस्था करने के लिए हमने काम किया है। The citizens with mild to medium colour blindness and monocular vision have been granted driving licences. सभी दिव्यांगों के प्रति सरकार सहानुभूति रखती है और निश्चित रूप से उनको मदद करेगी। ...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनको पहले ही टोल पर ग्राण्ट दी हुई है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। ...(व्यवधान) टोल एग्जम्पशन के बारे में राज्य सरकारों से भी निवेदन किया जाए। ...(व्यवधान) जब कोई दिव्यांग कहीं जाते हैं, वे किसी की गाड़ी में जाते हैं, मैं गांव के इंटीरियर जगहों की बात बता रहा हूं, जब वे किसी शादी-ब्याह या किसी फंक्शन में जाते हैं तो

हर आदमी उनको गाड़ी में बैठाकर ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा कि वे अगर मेरी गाड़ी में जाएंगे तो मुझे टोल में छूट मिलेगी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दिव्यांगों की बात हो रही है, उसे सुनिए। आप लोग दिव्यांग की बात भी नहीं सुन रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, ये लोग कम से कम दिव्यांगों के बारे में सुन लें। ... (व्यवधान) इतनी सहानुभूति तो इन लोगों को होनी चाहिए, इनको ... * आनी चाहिए। ... (व्यवधान) यहां देश के दिव्यांगों के बारे में बातें हो रही हैं, सरकार निर्णय ले रही है, प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर से लेकर इतनी सहूलियतें-फेसिलिटीज दी हैं, लेकिन ये लोग दिव्यांगों के मामले में भी शोर मचा रहे हैं। ... (व्यवधान) सरकार दिव्यांगों के लिए ऐसे निर्णय ले रही है। इससे लोग उन दिव्यांगों को इज्जत से अपनी गाड़ियों में बैठाकर ले जाएंगे कि जब मैं टोल पर जाऊंगा, तब मुझे वहां छूट मिलेगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Vinod Kumar Sonkar – not present.

* Not recorded

(Q. 42)

SHRI NISITH PRAMANIK: Sir, my question is whether the Government is implementing Bharatmala Pariyojana to construct roads in borders/coastal areas, religious and tourist places in our country; if so, the details and the present status thereof; the details of the roads constructed across the country under the Pariyojana till date; the funds provided for the purpose till date; and the details of projects being implemented, completed and proposed under the Pariyojana in the country, State and UT wise.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: The length of roads to be constructed under Bharatmala Pariyojana is 30,000 kilometres. Length awarded upto now is 13,521 kilometres against which length completed is 4,070 kilometres. The DPR is in pipeline for 16,500 kilometres. Bids were invited for 4,800 kilometres and the total expenditure till date is more than rupees one lakh crore. ...*(Interruptions)*

Under Bharatmala Pariyojana, we are already planning for the construction of 22 greenfield corridors with a total length of 7,600 kilometres. It includes five

expressway and 17 access control corridors. The total cost is Rs. 3.30 lakh crore and 2,800 kilometres length has been awarded out of 7,600 kilometres.

...(Interruptions)

About the Delhi-Mumbai Express Highway, it is one of the important Express Highways in the country. It has the highest length in the country. The total length of this highway is 1,350 kilometres and the cost is approximately rupees one lakh crore, and contracts for 1,086 kilometres, worth Rs. 67,000 crore, have been awarded. ...(Interruptions)

Sir, really, it is a matter of pleasure and pride for me that NHAI, in relation to this Delhi-Mumbai Express Highway, have already made an international world record. In one day, 12,500 cubic metres of concrete was laid down on a stretch of 2.54 kilometres of four lane length on the Delhi-Mumbai corridor on 2nd February, 2021. This will be a world record achieved in this construction field. In the week from 8th to 15th January, 2021, a record highway construction of 534 kilometre was

achieved. In January end, the average was 28.5 kilometre per day.

...(Interruptions)

Mananiya Speaker Mahodaya, it is a matter of pleasure and pride for me to tell you that, according to the latest data from 8th January to 15th January, 2021, a 534 kilometre road has been constructed, and the total average was coming to 28.5 kilometre. But today, as per the information which I received, our construction record comes to 29.6 kilometres, that means 30 kilometres per day. Uptil now, 9,127 kilometres of road has already been constructed and this is the first time that NHAI has achieved the highest record in the history of the country. ...(Interruptions)

Sir, this is very important project, Bharatmala Pariyojana, which is going to change the face of our country and the dream of our Prime Minister is to make India "Atma Nirbhar Bharat" and making the Indian economy reach the five trillion dollar target and creating infrastructure of Rs. 111 lakh crore within five years. The total road infrastructure of the country will be equivalent to USA or even European

countries and we will achieve that goal. That will be a great achievement of our Government.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

SHRI NISITH PRAMANIK: No Sir.

(Q. 43)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 'चारधाम परियोजना' को स्वीकार किया है...(व्यवधान) उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिससे हमारे डीवोटीज को वहां पर सुविधा मिलेगी...(व्यवधान) उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा...(व्यवधान) उस क्षेत्र का विकास होगा...(व्यवधान) बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जो इन सभी स्थानों पर पैदल चलते हैं...(व्यवधान) हम ने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वे वहां लेट कर भी चलते हैं...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि क्या उन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए, जो वहां पैदल जाते हैं, क्या कोई फुटपाथ की व्यवस्था की गई है, जिससे उनकी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके और जिससे वहां कोई एक्सिडेंट न हो...(व्यवधान) वहां लोग पैदल जाते हैं, लेट कर जाते हैं...(व्यवधान) क्या वहां कोई फुटपाथ की भी ऐसी व्यवस्था है? ...(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में 'चारधाम प्रोजेक्ट' हम सभी के लिए बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय है...(व्यवधान) यह 'चारधाम प्रोजेक्ट' जिसकी लेंथ 825 किलोमीटर है...(व्यवधान) यह ऋषिकेश टू यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाता है...(व्यवधान) इसके साथ-साथ टनकपुर से पिथौरागढ़ सेक्शन जो कैलाश मानसरोवर के लिए जा रहा है, हम वह भी

बना रहे हैं। इसका करीब 85 प्रतिशत काम पूरा हो गया है...(व्यवधान) आज मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट की टोटल कीमत 12,070 करोड़ रुपए है...(व्यवधान) इसमें 53 प्रोजेक्ट्स हैं...(व्यवधान) 53 प्रोजेक्ट्स में से 40 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं...(व्यवधान) इनमें से 671 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की लागत 9,474 करोड़ रुपए है...(व्यवधान) इनमें से 38 प्रोजेक्ट्स अवार्ड हुए हैं। जो 646 किलोमीटर के हैं, वे 8,378 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं...(व्यवधान) 9 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं, जो 78 किलोमीटर है, वे 10,025 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं...(व्यवधान) प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस 29 हैं, जो 569 किलोमीटर है, वे 7,353 करोड़ रुपए के हैं...(व्यवधान) टेंडर स्टेज पर दो प्रोजेक्ट्स 25 किलोमीटर के हैं, जो 605 करोड़ रुपए के हैं...(व्यवधान) येट टू बी सैंक्शंड 13 प्रोजेक्ट्स हैं, जो 153 किलोमीटर के हैं...(व्यवधान) अभी इन पर 5,111 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर हुआ है...(व्यवधान) मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बाकी जो 13 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें रोड्स की विड्थ के बारे में मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है...(व्यवधान) जिसके कारण अभी तक यह काम नहीं हो पाया है...(व्यवधान) There are litigations in the hon. Supreme Court regarding environmental and other related issues. Thirteen projects could not be sanctioned pending decision on carriageway width and the matter is still *sub judice*. The next date for hearing has been scheduled on 17.02.2021. Out of these 13 projects, five of them are in the eco-sensitive zone. ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं

उनको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की मान्यता से अभी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक ऐफिडेविट दिया है और रोड की विड्थ के बारे में स्ट्रैटजिक प्वाइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण, मिलिट्री के ईक्विप्मेंट ले जाने के लिए उन्होंने जो ऐफिडेविट दिया है, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन प्रलंबित है।...(व्यवधान) हम ने वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी एक आदेश निकाला है।...(व्यवधान) निश्चित रूप से इसमें एक पॉजिटिव क्लीयरेंस मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।...(व्यवधान) यह प्रोजेक्ट करते समय सम्माननीय सदस्य ने पैदल चलने वाले लोगों के बारे में जो सुझाव दिया है, वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, इस प्रकार की भी व्यवस्था पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए कैसे हो सकती है, इसका प्रयास सरकार करेगी।...(व्यवधान) मैं उनको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे 'चारधाम प्रोजेक्ट' जो प्रोजेक्ट्स रूके हुए हैं, इनमें से 53 प्रोजेक्ट्स में से 13 प्रोजेक्ट्स सैंक्शंड हैं, वे अंडर प्रोसेस हैं।...(व्यवधान) Out of these 13 projects, five of them are in the eco-sensitive zone. ...(व्यवधान) अनेदर फाइव प्रोजेक्ट्स बाइपासेज हैं।...(व्यवधान) मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह जल्दी पूरा होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपके कई नेताओं के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि प्रश्न काल चले, जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन आपको जिन बातों और अपेक्षाओं के साथ जनता ने चुन कर यहां भेजा है, आपका यह व्यवहार उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्यगण आप अपनी सीट्स पर विराजें, ताकि सदन सुचारु और निर्बाध रूप से चल सके।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ही कहते हैं कि प्रश्न काल होना चाहिए और प्रश्न काल के समय आप नारेबाजी और तख्तियां उछाल रहे हैं। यह संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।

...(व्यवधान)

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos. 44 to 60
Unstarred Question Nos. 461 to 690)
(Page No. 30-593)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

. . . .(व्यवधान)

16.15 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

17.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Seventeen of the Clock.
(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

...(Interruptions)

17.0½ hrs

At this stage Shri Gaurav Gogoi, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Ravneet Singh, Shri N. K. Premachandran, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, Shri M. Badruddin Ajmal, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठें।

...(व्यवधान)

17.02 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आईटम नंबर 2 से 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री किरन रिज्जीजू जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2963/17/21]

- (3) हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 41 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3834(अ) जो 27 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 1258(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2964/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री राजकुमार सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2965/17/21]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 2966/17/21]

- (3) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2967/17/21]

- (4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. एल-1/236/2018/सीईआरसी जो 26 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(दो) अधिसूचना सं. एल-1/18/2010-सीईआरसी जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तीन) अधिसूचना सं. एल-1/18/2010-सीईआरसी जो 18 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड)(छठा संशोधन) विनियम, 2019 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व का साझाकरण) विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/246/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का साझाकरण) विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/13/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (5) उपर्युक्त (4) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- [Placed in Library, See No. LT 2968/17/21]
- (6) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2969/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2970/17/21]

- (3) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2971/17/21]

(5) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एएआई/ओपीएस/707/जीएचआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[Placed in Library, See No. LT 2972/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री मनसुख मांडविया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2973/17/21]

(3) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्कों और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2020, जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

आईडब्ल्यूएआई/कार्गो/184/2009/खंड-दो में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2974/17/21]

- (4) (एक) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (पांच) मुंबई पत्तन न्यास, पेंशन कोष न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (छह) मुंबई पत्तन न्यास, पेंशन कोष न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2975/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2976/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री रतन लाल कटारिया जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2977/17/21]

17.04 hrs**RESIGNATION BY MEMBER**

माननीय सभापति: माननीय सदस्यों, मुझे इस सभा को सूचित करना है कि केरल के मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। अध्यक्ष जी ने उनका त्यागपत्र 03 फरवरी, 2021 को स्वीकार कर लिया है।

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 8, श्री राधामोहन सिंह जी।

17.04½ hrs**STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS****(i) 4th and 5th Reports**

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चंपारण) : माननीय सभापति महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2020-21) (17वीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन।

(2) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2020-21) (17वीं लोक सभा) का पांचवां प्रतिवेदन।

(ii) Statements

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) 'पर्यटन संवर्धन और तीर्थयात्रा सर्किट' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'नई रेल खानपान नीति-2017' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 25वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'भारतीय रेल में पुलों का रखरखाव' के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (17वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

17.05 hrs**STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT****3rd and 4th Reports**

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

* 3rd and 4th Reports were presented to Hon'ble Speaker on 11th September, 2020 under Direction 71A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the same were also placed before the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha for his perusal. The Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Report under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

17.05¹/₄ hrs

**STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT,
FORESTS AND CLIMATE CHANGE**
Action Taken Reports

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव) : माननीय सभापति महोदय, मैं परमाणु ऊर्जा; जैवप्रौद्योगिकी; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; अंतरिक्ष; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में विभाग-संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 326वें से 332वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में क्रमशः 333वां, 334वां, 335वां, 336वां, 337वां, 338वां और 339वां प्रतिवेदन[§] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[§] The Reports were presented to Hon'ble Chairman, Rajya Sabha on 30th November, 2020 and were also forwarded to Hon'ble Speaker, Lok Sabha the same day.

17.05½hrs**STATEMENTS BY MINISTER**

(i)(a) Status of implementation of recommendations contained in the 28th Report of Standing Committee on Energy on 'National Solar Mission-An Appraisal' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy^{*}

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Madam, I beg to lay the following statements regarding status of implementation of recommendations contained in the 28th Report of Standing Committee on Energy on 'National Solar Mission-An Appraisal' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3202/17/21.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in 22nd Report of the Standing Committee on Energy on 'Energy Access in India—Review of Current Status and role of Renewable Energy' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Madam, I beg to lay the following statements regarding status of implementation of the recommendations contained in 22nd Report of the Standing Committee on Energy on 'Energy Access in India—Review of Current Status and role of Renewable Energy' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3203/17/21.

(c) Status of implementation of recommendations contained in 13th Report of the Standing Committee on Energy on 'Development and Status of Small Hydro Sector' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Madam, I beg to lay the following statements regarding status of implementation of recommendations contained in 13th Report of the Standing Committee on Energy on 'Development and Status of Small Hydro Sector' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy

(d) Status of implementation of recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Energy on 'Demands for Grants (2014-15)' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Madam, I beg to lay the following statements regarding status of implementation of recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Energy on 'Demands for Grants (2014-15)' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3204 and 3205/17/21 respectively .

... (*Interruptions*)

17.06 hrs

ARBITRATION AND CONCILIATION (AMENDMENT) BILL, 2021*

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996 be taken into consideration.”

HON. CHAIRPERSON: Shri Gaurav Gogoi

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Manish Tewari

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Saugata Ray

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahtab

... (*Interruptions*)

* Published in the Gazette of India ,Extraordinary,Part II,Section 2 dated 04.02.2021.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I thank you for giving me this opportunity. I would like to raise objection to the introduction of this Bill which is amending the original Act again. ...(*Interruptions*)

This is with regard to the introduction of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2020 that is listed today and the leave for introduction has been sought by the hon. Minister. I oppose the introduction of this Bill as it has many ambiguities. ...(*Interruptions*)

Madam, for example, Clause 34 does not contain any express provision for setting aside an award or refusing its enforcement if the arbitration agreement or contract which is the basis of the award was induced or affected by fraud or corruption. ...(*Interruptions*) If a ground is not available for setting aside an award, how can it be available to an applicant seeking a stay of its enforcement? ...(*Interruptions*)

Similarly, Clause 36 is not in consonance with Clause 34. The language of Clause 36 is in conflict with that of Clause 34. ...(*Interruptions*)

Thirdly, the mandate to unconditionally stay the enforcement in cases of corruption lacks logic or reasoning, when court can exercise its discretion to put any applicant to such term before granting any stay order. ...(*Interruptions*) This reverses the effect of the 2015 amendments to the Act which had done away with automatic stay on enforcement of arbitral awards upon a challenge being made

under Section 34 of the Act. The Government has given no reason for this major step back. ...(*Interruptions*)

Lastly, this Bill omits the detailed criteria for accreditation of arbitrators introduced by the 2019 amendment to the Act contained in the Eighth Schedule. ...(*Interruptions*) In any event, it remains uncertain how the Indian courts will take a *prima facie* view in relation to the involvement of fraud or corruption in the contract, arbitration agreement or arbitral award at the enforcement stage. ...(*Interruptions*) If this issue has not been previously raised between the parties, it will be difficult for courts to form a preliminary view without asking parties to produce detailed evidence in support of their position. ...(*Interruptions*)

Therefore, I oppose the introduction of this Bill. I would like to be educated by the Minister as to what was the hurry to bring in this amendment in the Act. ...(*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I very respectfully urge that at the stage of introduction, we have to see the legislative competence of the House. ...(*Interruptions*) The Government has got the power under the Constitution to bring an amendment. The hon. Member Bhartruhari Mahtabji is talking about the merits of the Bill which will be explained by me while giving a detailed reply. ...(*Interruptions*) But very briefly I would like to say that even in Clause 34 – with your experience you know it very well – if it is against public policy namely fraud or

induced by corruption, it will be a ground for setting aside the award.

...(Interruptions)

What we are saying is that many fly-by-night operators get awards based upon dubious agreements and seek enforcement not only in India but also outside. Therefore, to contain those elements, this is being brought about with a condition, '*prima facie* satisfaction'. If that is there, it will go before Section 34 but enforcement will be stayed at the *prima facie* level. Therefore, there is no point at all with the greatest respect to him ...(Interruptions)

As far as the competence of the arbitrator is concerned, Madam, we are giving the power. Now, instead of having it in the Act, it will be decided by the Arbitration Council of India as to who shall be competent and who shall not be. All the provisions are there; and all the regulations made shall be placed before the House itself. Therefore, there is no lacking of competence. There is a purpose. All this will be explained on merits ...(Interruptions)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I introduce the Bill.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Item No. 14 – Shri Ravi Shankar Prasad-ji.

... (*Interruptions*)

17.12 hrs

**STATEMENT RE: ARBITRATION AND CONCILIATION
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2020***

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): I beg to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 (No. 14 of 2020) ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: May I request all my colleagues to go back to their seats please? It is not achieving any purpose. I request all of you to please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT-2978/17/21

माननीय सभापति : मेरा सबसे आग्रह है। Please go back. It is not achieving any purpose.
We are making a mockery of ourselves. It is not nice.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : यह सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही आज छह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

17.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eighteen of the Clock.

18.00 hrs

*The Lok Sabha reassembled at Eighteen of the Clock.
(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)*

...(व्यवधान)

18.0½ hrs

*At this stage Shri Bhagwant Mann, Shri Dayanidhi Maran, Adv. A. M. Ariff,
Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came
and stood on the floor near the Table.*

...(Interruptions)

18.01 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय सभापति: नियम-377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्य कृपया उसे सभा-पटल पर रख दें।

...(व्यवधान)

(i) Regarding Train services from Bengaluru to Katra

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): It is with regard to resuming of train services from Bengaluru to Katra for the benefit of the people.

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to run Vande Bharat Express and Rajdhani Express on Delhi-Lucknow-Gorakhpur-Barauni Railway section and Shatabdi Express on Lucknow-Gorakhpur-Varanasi section

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर):दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-बरौनी होते हुये हावड़ा रेलखण्ड देश के अति महत्वपूर्ण रेल लाईनों में से एक है। इस रेल खण्ड पर पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार के लाखों यात्री यात्रा करते हैं, फिर भी इस रेलखण्ड की हमेशा उपेक्षा की गयी। इस रेलखण्ड पर दिल्ली से मुजफ्फरपुर-बरौनी-हावड़ा के लिये कोई राजधानी या महत्वपूर्ण ट्रेन नहीं है और इस रेलखण्ड पर विद्युतीकरण व दोहरीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका है।

इस रेलखण्ड पर मुजफ्फरपुर-बरौनी से लखनऊ होते हुये दिल्ली तक दर्जनों माननीय सांसद इस रेलखण्ड से यात्रा करते हैं, इस रेलखण्ड पर वैशाली, बिहार संपर्क क्रांति, गोरखनाथ एक्सप्रेस के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण ट्रेन न होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-बरौनी रेलखण्ड पर वंदे भारत एक्सप्रेस व राजधानी एक्सप्रेस और लखनऊ-गोरखपुर-वाराणसी रेलखण्ड पर एक शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन किया जाये।

**(iii) Need to make available the services of Pediatricians
In rural areas of the country**

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बाल चिकित्सकों की पूरे देश में बहुत ही कमी है और देश में पैदा होने वाले 50 प्रतिशत बच्चे, देश के चार प्रदेशों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान) में पैदा होते हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और बाल चिकित्सकों की कमी होने के कारण वहाँ शिशु मृत्यु दर भी काफी अधिक है और यह भी देखने में आया है कि ज्यादातर बाल चिकित्सकों की सेवाएं देश में प्रदेश के बड़े-बड़े शहरों में ही उपलब्ध हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ज्यादातर बाल चिकित्सक सेवाओं से वंचित है।

मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराते हुए मांग करता हूँ कि बाल चिकित्सकों की सेवायें ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराई जायें, जिससे शहरों में इलाज कराने के लिए लोगों को न आना पड़े और ग्रामीण स्थानीय क्षेत्रों में ही बच्चों का सुचारु रूप से इलाज हो सके।

(iv) Need to restore stoppage of trains at Pulgaon and Hinganghat railway stations in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री रामदास तडस (वर्धा): माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये निवेदन है मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के पुलगांव एवं हिंगणघाट रेलस्थानक पर कोविड - 19 के कारण गाड़ियों का ठहराव बंद कर दिया गया है। कोविड-19 वैश्वीक महामारी के बाद प्रारंभ हुई विशेष रेल सेवा के तहत विशेष रेल गाड़ियों का पुलगांव रेल स्थानक पर गाड़ी संख्या 02809/02810, 02833/02834, 02655/02656, 02169/02170 एवं हिंगणघाट रेल स्थानक पर गाड़ी संख्या 02615/02616, 02655/02656 का ठहराव नहीं होने के कारण प्रवासी वर्ग को कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। जबकि यह दोनो रेलस्थानक व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, अनेक रेल प्रवासी संगठन तथा सामाजिक क्षेत्र मे कार्य करने वाले संस्थाओं ने इस विषय पर रेल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अतः माननीय रेल मंत्रीजी से आग्रह है कि निर्वाचन क्षेत्र के प्रवासी वर्ग की मांग एवं इच्छा को ध्यान मे रखकर पुलगांव एवं हिंगणघाट रेलस्थानक में विशेष रेल सेवा के ठहराव देने संदर्भ संबंधित विभाग को अनुदेशित करने की कृपा करे जिससे कि प्रवासी वर्ग की समस्याओं का निदान हो सके।

(v) Need to construct an underpass or overbridge across National Highway No. 65 (Ambala-Hisar) in Haryana

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। विषय यह है कि अंबाला-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग 65 जो कि पेहोवा से उरुनाए सड़क को गांव धनीरामपुरा बाईपास पर क्रॉस करता है। इस सड़क पर दो प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इस पर अंडरपास या ओवरब्रिज निर्माण के संबंध में माननीय मंत्री जी के द्वारा डीजी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी है। यह अंडरपास या ओवरब्रिज बनाना अत्यंत आवश्यक है। अब तक यहां बहुत अधिक मात्रा में एक्सीडेंट हो चुके हैं और लोगों की जानें जा चुकी हैं। अतः इस विषय को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर इस अंडरपास या ओवरब्रिज बनाया जाए। धन्यवाद।

**(vi) Need to start flight services from Bilaspur Airport, Chhattisgarh
to different cities**

श्री अरूण साव (बिलासपुर): गत 26 अगस्त 2020 को माननीय नगर विमानन मंत्री द्वारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र वासियों को अत्यंत प्रसन्नतादायक खबर दी गई थी कि भारत सरकार के “उड़ान –सब उड़े, सब जुड़े” योजना के अंतर्गत चकरभाठा एयरपोर्ट बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर हवाई सेवा प्रारम्भ करने की अनुमति भारत सरकार की कंपनी ‘एलायंस एयर’ को दे दी गई है। परंतु उक्त रूट पर नियमित विमान सेवा अब तक प्रारम्भ नहीं हो सकी है। उल्लेखनीय है कि चकरभाठा एयरपोर्ट बिलासपुर से महानगरों तक सीधी उड़ान सेवा प्रारम्भ किए जाने कि मांग को लेकर क्षेत्रवासी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। सभी चाहते हैं कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों तक नियमित विमान सेवा क्षेत्रवासियों को जल्द से जल्द सुलभ हो, जो कि बिलासपुर हवाई अड्डा चकरभाठा को 4 सी लाइसेंस मिलने पर ही संभव होगा। उक्त संबंध में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है, ताकि चकरभाठा एयरपोर्ट, बिलासपुर में 4 सी लाइसेंस के हिसाब से आवश्यक कार्य शीघ्र आरंभ हो सके। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि क्षेत्रवासियों की उक्त बहुप्रतीक्षित मांग को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर हवाई अड्डा चकरभाठा से “उड़ान –सब उड़े, सब जुड़े” योजनांतर्गत स्वीकृत बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर हवाई सेवा शीघ्र प्रारम्भ करने एवं इस योजना के तहत बिलासपुर-प्रयागराज-बनारस रूट के लिए भी स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में उचित पहल एवं आवश्यक कार्रवाई किया जावे।

**(vii) Regarding problems being faced due to human-animal conflict in
Uttarakhand**

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) : मैं उत्तराखंड के राज्य एवं वन बाहुल्य क्षेत्रों की वन्यजीव - मानव (किसान) संघर्ष की गंभीर चुनौती की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। वन्यजीवों के कारण जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहीं फसलों को व्यापक नुकसान होने के कारण लोग वहां से पलायन के लिए मजबूर हैं। उत्तराखंड प्रदेश के किसान, वन्यजीवों के आतंक के कारण अपनी खेती कर पाने में असमर्थ हैं। मजबूरी में लोग क्रॉप पैटर्न चेंज (फसल परिवर्तन) पर मजबूर हैं और उनके आगे भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए समस्त हितधारकों, नीति निर्माताओं, राज्य-केन्द्र सरकारों, कानून विभाग, वन्य विभाग, कृषि विभाग, मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों में समन्वय स्थापित करते हुए कारगर अल्पकालिक, दीर्घकालिक कदम उठाए। इसके अतिरिक्त, सरकार सौर ऊर्जा आधारित तार, बाढ़, भूमि उपयोग नियोजन, इको टूरिज्म, पर्यावरण सेवा कर ग्रीन बोनस जैसे सुझावों पर शीघ्र अमल करे तथा किसानों को इस चुनौती से निपटने हेतु प्रशिक्षण देकर क्रॉप चेंज (फसल परिवर्तन) के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए एवं वन्य कानूनों में आवश्यक बदलाव किए जाने की भी आवश्यकता है।

(viii) Regarding educating women on financial matters

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): In the present age, true empowerment of women can be achieved not just through literacy but also financial literacy. Financial literacy ensures that women have a say in financial matters of the family, provides them access to loans, an understanding of various other financial products and finally, make them financially independent. According to the National Strategy for Financial Education (NSFE) survey conducted in 2019 by RBI, women fared lower compared to men in financial literacy. 21 per cent women crossed the minimum threshold score compared to 29 per cent men. Moreover, homemakers fared the second lowest among various professions in the percentage of people crossing the minimum score (16%) only ahead of agricultural workers (13%). Therefore, the Government must streamline its efforts towards educating women on financial matters. This would not just ensure gender equality but also expand and further the scope of financial inclusion programme started through the Jan Dhan Yojana.

(ix) Need to develop and operationalize Prithviganj Airport, Uttar Pradesh

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ अंतर्गत तहसील रानीगंज के पृथ्वीगंज में आजादी के पूर्व स्थापित एरोड्रम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हवाई सेवाएं परिचालित न होने के कारण वर्तमान में निष्प्रयोज्य हो गया है, जिसका मजबूत रनवे आज भी पूरी तरह से चलायमान हालत में विद्यमान है। यदि उसे विकसित करके छोटे एयरपोर्ट के रूप में तैयार कर दिया जाए तो सरकार की वर्तमान नीतियों के अनुरूप उसे जनसामान्य के इस्तेमाल तथा ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त एयरपोर्ट के सन्निकट रेलवे स्टेशन व सुलभ आवागमन के साधन भी मौजूद हैं तथा यह जिला मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण अत्यंत ही जन उपयोगी साबित होगा। अतः कृपया पृथ्वीगंज एयरपोर्ट, जनपद प्रतापगढ़ को पुनः संचालित किए जाने हेतु निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

(x) Need for railway line from Bar to Bilara via Jaitaran

SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): I would like to draw the attention of the hon. Minister of Railways towards the need for a new railway line from Bar to Bilara via Jaitaran. This railway line is being demanded for years now and despite the initial survey, no further action has taken place. This area is rich in minerals like, limestone, china clay, granite. As a result, big cement industries are being set up here which provide source of employment not just for the local people, but also to labourers from other states like Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, etc.

The cement industries have also demanded this railway line, as they require freight carriage service to transport their goods to cities like Delhi. Therefore, this would not just help to boost employment and growth in the region but also help to increase the freight and passenger revenue of the railways.

**(xi) Need to constitute a Board to look into the possibilities
of creating smaller States in the country**

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): आज़ादी के समय देश में बड़े राज्य थे जिनका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से किया था। परन्तु आज़ादी के बाद कई छोटे राज्यों का निर्माण हुआ जिन्होंने काफी आर्थिक प्रगति भी की और प्रगति के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूत किया। इसका एक उदाहरण गुजरात राज्य है जोकि तब के बम्बई प्रान्त से अलग होकर बना जिसने न सिर्फ आर्थिक रूप से प्रगति की, बल्कि अपनी संस्कृति को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पहचान बनाई। इसी तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गोवा, उत्तराखंड, झारखण्ड, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना इत्यादि राज्यों का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हुआ और आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों के निर्माण के उपरांत इन राज्यों ने काफी प्रगति भी की है। परन्तु देश में नए राज्यों की मांग अभी भी जारी है और इस मांग के लिए समय-समय पर जन आन्दोलन भी होते रहे हैं। इन नए राज्यों की मांग में बुंदेलखंड राज्य की मांग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड राज्य की मांग स्वतंत्रता पूर्व की मांग है। इस हेतु फरवरी 1943 में टीकमगढ़ में बुंदेलखंड प्रान्त निर्माण सम्मेलन आयोजित किया गया और उसके उपरांत लगातार पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग होती रही है। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग का प्रमुख आधार विकास है। ब्रिटिश काल में ऐतिहासिक कारणों से बुंदेलखंड क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले आर्थिक रूप से काफी पिछड़ गया और आज़ादी प्राप्ति के उपरांत दो राज्यों में बुंदेलखंड का विभाजन हो गया। संभवतः दो राज्यों में विभक्त होने वाले बुंदेलखंड देश का एकमात्र क्षेत्र है। इन सभी कारणों के समग्र प्रभाव के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी इस क्षेत्र का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ अन्य राज्यों का विभिन्न आधार पर निर्माण हुआ और उन्होंने न सिर्फ आर्थिक प्रगति की, बल्कि अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन भी किया, परन्तु बुंदेलखंड न सिर्फ आर्थिक रूप से पीछे रह गया, अपितु अपनी

सांस्कृतिक पहचान को भी बड़ी मुश्किल से संभाले हैं और इसके साथ यहाँ बोली जाने वाली बुन्देली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में भी जगह नहीं मिल पाई है। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति एवं उसके पश्चात बनाए गए छोटे राज्यों के सर्वांगीण विकास के शानदार प्रदर्शन को दृष्टिगत करते हुए बुंदेलखंड के आर्थिक विकास और संस्कृति के संरक्षण और सर्वर्धन हेतु एवं बुंदेलखंड के संबंध में जनभावनाओं को देखते हुए जनमानस की मांग की पूर्ति हेतु बुंदेलखंड के लिए नवीन संभावनों पर विचार करना अति आवश्यक है। इस हेतु मेरी सरकार से यह मांग है कि नवीन छोटे राज्यों के निर्माण और संभावनाओं की तलाश हेतु लघु राज्य निर्माण बोर्ड का गठन किया जाए।

(xii) Regarding National Library Policy

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Libraries play the pivotal role by providing access to information/knowledge, resources/services to meet informational, educational, recreational and cultural needs of the community through a range of national, institutional and public libraries. Yet Library and Information Services (LIS) sector in India has not developed to keep pace with the paradigmatic changes taking place in society. At present, “Libraries” being a State subject and without a National Library Act, there is no common direction or coordination among them resulting into pathetic condition of public libraries in the country. Government has formulated National Policies like Education Policy, Tourism Policy etc., for overall development of various sectors. Due to partial and ineffective implementation of State legislation, a National Library Policy is needed to make India a knowledge society. I request Minister of Culture to initiate formulation of a National Library Policy to facilitate coordinated development of libraries’ systems and services in country.

(xiii) Regarding construction of embankments along the course of Amanat and Koel rivers in Palamu Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू (झारखण्ड) के अंतर्गत सदर प्रखंड मेदिनीनगर के ग्राम बड़कागांव से होते हुए खनवां, जोड़, सिंगरा तक अमानत नदी एवं कोयल नदी से कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक यह कटाव हो रहा है। खेती योग्य सिंचित भूमि का कटाव हो रहा है। विदित है कि सिंचित कृषि योग्य भूमि को कटाव से बचाने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि तटबंध का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए। अतः मेरा जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त तटबंध निर्माण कार्य के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

(xiv) Regarding Angamali-Sabarimala Railway Project

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The Angamali-Sabarimala Railway Project in Kerala, aimed at putting the hill shrine 'Sabarimala' into the Indian railway network, has been a topic of concern in Kerala. Earlier, the Railways had decided to keep the project in abeyance and not infuse fresh funds. Further, the hon. Railway Minister had asked the State of Kerala to contribute 50 per cent of the project cost as it is not feasible for the railways to take the project forward solely with the railway funds. Now, the State has agreed to this proposal and expressed its willingness to share the cost of this project with the Centre. The project once completed would help over 3 crore Ayyappa devotees visiting Sabarimala Shrine every year. Moreover, it would act towards pushing the local economy and would also be a great help to local population, numbering a few lakh people, living in four districts of central Kerala namely, Ernakulam, Idukki, Kottayam and Pathanamthitta.

(xv) Regarding repeal of agriculture law

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): It is good to pass new laws, but the House and its various forums are there to discuss and include the feelings of those affected by the law. The present Government as in the case of Citizens Amendment act, repeal of Article 370, demonetization and lock down announcements has inflicted enormous sufferings on the very people who they voted to power. All of this is due to the bypassing of the consultative mechanism which the House stands for. Hence, I urge the Government to repeal the agriculture law being opposed by the farmers and initiate a consultative mechanism for reforms in the agriculture sector.

**(xvi) Regarding problems being posed by Kodungaiyur
dumping yard in Chennai**

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): The Kodungaiyur dumping yard is the largest solid waste dump in the city of Chennai. From a small patch of land, the dump yard has grown rapidly over the last two decades, to the point where it now accommodates mixed garbage from 7 out of 10 corporation zones. The living conditions for residents living in the vicinity of the dump are miserable. The constantly smouldering garbage dump releases a shroud of toxic smoke that is blamed for the rampant health problems in the neighbourhood. Local residents are frustrated that years of petitioning, protesting and meeting officials have brought no respite. On 23rd August, 2006, an air sample was taken inside the dumping ground that revealed the presence of 9 toxic chemicals including 3 carcinogens. Unfortunately, my constituency has Kodungaiyur dumping yard which is causing severe health hazard. I, therefore, request the Union Government to set up a Bio-Mining and possibly power generation from the waste.

(xvii) Regarding cold chain facilities in Andhra Pradesh

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): I welcome GOI's announcement of setting up of 27 integrated cold chain facilities in various States under PMKSY for food processing sector. Under this, GOI would provide Rs. 208 crores as grant-in-aid to increase efficiency and sustainability in India's food supply chain. Secondly, it generates more than 16,000 jobs and benefits 2.5 lakh farmers. I have no doubt that these facilities push growth in food processing infrastructure and help agricultural supply chain. Apart from these, facilities would provide economic security to farmers, help in doubling their income and also act as a step to make country *Atmanirbhar* in fruits and vegetables.

I am told that 35 per cent grant-in-aid would be given to general States and 50 per cent to North-East and Himalayan States and additional 50 per cent and 75 per cent would also be given for value addition, subject to a maximum grant of Rs. 10 crores. I wish to point out that AP was assured of Special Category Status, but it is still pending for clearance from GOI. Had SCS been given to AP, we would have got aid at par with North-East and Himalayan States. Hon. PM has assured for SCS and Union Cabinet had also approved it. So, it is totally justified to extend whatever assistance, Grant-in-Aid being extended to North-East and Himalayan States, to AP also.

Hence, I would request the Food Processing Minister to set up cold chain facilities in Machilipatnam, AP and also approve grant-in-aid to AP at par with North-East and Himalayan States.

(xviii) Regarding merger of Public Sector Banks

SUSHRI MIMI CHAKRABORTY (JADAVPUR): Ten public sector lenders have already been merged into four bigger and stronger banks in the country, out of which, the Oriental Bank of Commerce (OBC) and the United Bank of India are now named as Punjab National Bank (PNB).

I wonder to say that this merger of UBI has technically shifted the Headquarters from Kolkata to Delhi and more surprisingly, the Government has proposed to shrink the banking systems by amalgamating the branches into one Branch, thus, squeezing the manpower of the industry. South Garia Branch, having almost 15 thousand customers, is proposed to be merged with UBI, Champahati Branch of South 24 Parganas.

Keeping in view the public demand and its financial feasibility, I earnestly request the Government to retain both branches, as is where is basis, and to upgrade both the branches with modernised PNB-e Corner services for the benefit and the greater interest of the common people of my constituency.

**(xix) Need to augment railway services in Thawe junction in Gopalganj
Parliamentary Constituency, Bihar**

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): रेलवे विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज एक बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां रेलवे का एक महत्वपूर्ण थावे जंक्शन है जहां से लम्बी दूरी एवं महानगरों के लिए कोई भी मेल, एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है। शहर से होकर सैंकड़ों प्राइवेट बसें गुजरती हैं, जो आये दिन दुर्घटना की शिकार होती हैं एवं जान-माल का काफी नुकसान होता है।

थावे जंक्शन बनारस डिवीजन में आता है लेकिन पूरे बिहार में इस डिवीजन में केवल छपरा में पिट लाइन या रेलवे पिट है जिसके कारण थावे जंक्शन से ट्रेन नहीं है एवं हर तरह के यात्री, व्यापारी, छात्र एवं गंभीर मरीज दूसरे जिलों में जाकर ट्रेन पकड़ते हैं। थावे जंक्शन पर कमर्शियल फिजिबिलिटी के साथ-साथ यात्रियों की संख्या क्षेत्र में काफी है। इसलिए थावे जंक्शन को पिट लाइन या रेलवे पिट की सुविधा दी जाये एवं इसके साथ-साथ 12555/56 गोरखधाम एक्सप्रेस और 12571/72 हमसफर एक्सप्रेस को थावे जंक्शन होते हुए छपरा तक बढ़ाया जाए अथवा 22412/13 अरुणाचल एक्सप्रेस, 12553/54 वैशाली एक्सप्रेस, 12203/04 गरीब रथ एक्सप्रेस, 12565/66 बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस, ए.सी. एक्सप्रेस आदि ट्रेनों को थावे जंक्शन होते हुए दिल्ली के लिए डायवर्ट कर दिया जाए। इसके अलावा तेजस या राजधानी एक्सप्रेस आदि ट्रेनों को भी थावे जंक्शन से होते हुए चलाया जाए ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को महानगरों के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल सके। इससे रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ेगा एवं गोपालगंज भी थावे जंक्शन महानगरों से जुड़ेगा।

**(xx) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Bijnor Parliamentary
Constituency, Uttar Pradesh**

श्री मलूक नागर (बिजनौर): मैंने इससे पहले भी संसद में अपने लोक सभा-क्षेत्र बिजनौर के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 02.12.2019 को नियम 377 के तहत संसद में इस मामले को उठाया था, जिसके संबंध में मुझे मा. मानव संसाधन विकास मंत्री (केंद्रीय सरकार), प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 1 (उ प्र) व जिलाधिकारी बिजनौर का जवाब प्रस्ताव से संबंधित मिल चुका है, लेकिन अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है। केंद्रीय विद्यालय करीब 15 सालों से लम्बित पड़ा हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार व देश की सरकार तुरंत इसकी शुरुआत करें।

(xxi) Regarding subsidy on Deep Sea Fishing

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Deep Sea fishing subsidy under CSS-Blue Revolution scheme is being given only to the Vessel whereas it is not being given for the Fishing Nets or the accessories, and due to this, most of the fishermen are not coming forward to make use of this scheme despite Government funding them. So it will be much better if the subsidy is extended to all fishing equipment.

Therefore, it is my request to hon. Minister to kindly extend the subsidy for small equipment such as FRP boats, fishing nets and insulated ice boxes etc., besides vessel. If this happens, then the poor fishermen can replace their traditional /wooden boats and other equipment.

Thank you.

(xxii) Regarding Indian students pursuing Medical Education in China

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): More than 10,000 Medical Students from India, mostly from Kerala, pursuing their studies in various Universities in China were compelled to return to home due to Covid-19 pandemic in January 2020. They are mostly MBBS Students and some are doing Paramedical Courses. Even after one year, the Chinese Authorities are not giving permission to return to their educational institutions. Some of them are in the final year of their course. Almost all of them have availed education loans, running into several lakhs of rupees. Unless they are allowed to join back their educational Institutions, they will not be able to attend the examinations and complete their course. Online examinations are conducted by these Universities in China which are not approved by the Indian Medical Council (IMC). I request immediate intervention of Ministry of External Affairs in this matter to facilitate these students to return to their Universities in China.

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए। कृपा करके अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाइए। प्लीज, चर्चा को प्रारम्भ कराइए। स्पीकर महोदय लगातार अपील कर रहे हैं। मैं उनकी अपील को फिर दोहरा रहा हूँ। कृपया आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाइए और चर्चा कीजिए। प्रत्येक विषय पर आपको चर्चा करने की अनुमति है। यह आपका अधिकार है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप अपने उस अधिकार का उपयोग कीजिए। कृपया आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाइए। ये प्ले कार्ड्स मत दिखाइए।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया चर्चा प्रारम्भ होने दीजिए और चर्चा को आगे बढ़ाइए।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप लोग अपनी बात विधिवत् अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप जो भी विषय उठाना चाहते हैं, वह अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के दौरान उठा सकते हैं। कृपा करके आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही सात बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Nineteen of the Clock,

19.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Nineteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the chair)

...(व्यवधान)

19.0½ hrs

At this stage Shri Jasbir Singh Gill, Adv. A.M. Ariff, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया, आप सभी बैठ जाइए। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन की शोभा, सदन की मर्यादा आपके बैठकर चर्चा करने में है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप उसे धूमिल मत कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज बैठिए। आप बड़े परिश्रम से चुनकर आते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप यहाँ अपने क्षेत्र की बात रखिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको जो भी विषय रखना हो, वह रखिए। आपको पूरी अनुमति है, लेकिन please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : कृपया, आप बैठ जाइए। आपसे निरन्तर अनुरोध है। कृपा करके चर्चा प्रारम्भ कराइए। चर्चा में भाग लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : जो भी आपको अपना विषय रखना है, वह विषय उसके अंदर रखिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सरकार पूरी तरीके से आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका अधिकार है। मेरा अनुरोध है कि कृपया दलों के नेता माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी सीटों पर जाने के लिए अनुरोध करें।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप चर्चा के इस अवसर को व्यर्थ मत कीजिए। प्लीज, अपनी सीट पर वापस जाइए। चर्चा चलने दीजिए। आप भी उसमें भाग लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप नहीं चाहते कि सदन अभी चलाया जाए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

19.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twenty of the Clock.

20.30 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty Minutes past Twenty of the Clock.

(Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)

...(व्यवधान)

20.31 hrs

At this stage Adv. A. M. Ariff, Shri Bhagwant Mann, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Member came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: शून्य काल – डॉ. निशिकांत दुबे।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, धन्यवाद। आज मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूँ, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रधान मंत्री जी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो राज्य झारखंड है, पिछले एक साल में झारखंड में चार हजार बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और बलात्कार के बाद महिलाओं की, लड़कियों की, छोटी बच्चियों की हत्याएं हुई हैं।...(व्यवधान) उसी आधार पर आप देखिए, धर्मांतरण...(व्यवधान) गढ़वा जिले के यहां वीडो राम साहब बैठे हैं। गढ़वा जिले से लेकर संथाल परगना में पूरा धर्मांतरण है, नैक्सेलाइट्स की एक्टिविटीज हैं और साइबर क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा संथाल परगना से लेकर झारखंड है।...(व्यवधान) आज आप समझिए कि 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ लोग किसी तरह गायब हो जाते हैं। ये सारा कारण यह है कि वहां के जो मुख्य मंत्री हैं, वह

खुद ही वर्ष 2013 में ... * और आज तक ... * उनके सामने मुम्बई हाई कोर्ट में लंबित है।...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि वहां एक्टिंग डीजीपी हैं, डीजीपी को उन्होंने चूँकि टेंट पर रखा हुआ है। डीजीपी काम करने में अक्षम है।...(व्यवधान) एसपी और डीसी जो है, पैसे देकर अपॉइंट हो रहे हैं और इसलिए महिलाएँ वहां सुरक्षित नहीं हैं। जब मुख्य मंत्री के ऊपर खुद ही ... * तो महिलाएँ और बच्चियाँ कैसे सुरक्षित हो सकती हैं।...(व्यवधान) इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि राष्ट्रपति शासन के लिए वह काफी माकूल समय है और झारखंड में इमीडिएट राष्ट्रपति शासन लगाकर हमारी बहू-बेटियों की रक्षा करनी चाहिए।...(व्यवधान) जय हिंद जय भारता।

माननीय सभापति : श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी – उपस्थित नहीं।

श्री विष्णु दयाल राम।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार के इस निर्णय की सराहना करता हूँ, जिसके द्वारा मानव रहित फाटकों को बंद कर दिया गया।...(व्यवधान) इससे रेल दुर्घटनाओं में अत्यधिक कमी आई है, लेकिन इसके साथ-साथ ही एक व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो गई है। एक ही गांव दो भागों में विभक्त हो गया है।...(व्यवधान) एक गांव के लोग दूसरी ओर जाने में असमर्थ हैं, जहाँ पर ब्लॉक ऑफिसें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर बच्चों को भेजने में या अपने उपचार के लिए जाने में कठिनाई हो रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि एलएचएस की व्यवस्था की जाए।...(व्यवधान) लो हाइट सब-वे की व्यवस्था की जाए। मैडम, लो हाइट सब-वे में मात्र चार करोड़ रुपया लगता है, जिसका खर्च उठाने में किसी भी सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी झारखण्ड की सरकार इस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ पर जो

* Not recorded

पाँच-छः रेलवे क्रॉसिंग हैं, लालगढ़, पजरीकला, डालरी, टोलरा, अहिरपुरवा एवं सोनबरसा जो बंद हो गए हैं...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि यदि राज्य सरकार इस पैसे को वहन करने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में रेल मंत्रालय स्वयं इस खर्चे को उठाए और जनता की कठिनाइयों को दूर करने का कष्ट करे। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सब लोगों से आग्रह है कि आप अपनी-अपनी सीट पर जाएं। शून्य काल महत्वपूर्ण विषय है। आप भी अपनी बात शून्य काल में कह सकते हैं। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री सुनील सोरेन – उपस्थित नहीं।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी लोक सभा में वर्ष 2016 में कसारा से आसनगाँव तक, कर्जत से बदलापुर तक तीसरी लाइन का काम मंजूर हुआ था।...(व्यवधान) आसनगाँव से कल्याण तक और बदलापुर से कल्याण तक चौथी लाइन का काम मंजूर हुआ है। इस रूट पर बहुत बड़े पैमाने पर यातायात बढ़ा है। लेकिन ट्रैक कम होने की वजह से ट्रेनें बढ़ नहीं रही हैं।...(व्यवधान)

यह काम धीमी गति से चल रहा है। इसकी वजह यह है कि लैण्ड एक्विजिशन में बहुत देरी हो रही है। ...(व्यवधान) लम्बी दूरी की ट्रेनों को पहले जाने की सुविधा देने की वजह से लोकल ट्रेनें बहुत लेट हो जाती हैं। इसलिए कई बार यात्रियों ने आंदोलन किया है और ट्रैक पर उतरे हैं, फिर भी इन दोनों ट्रैक के काम की गति नहीं बढ़ रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द लैण्ड एक्विजिशन का काम करके इन दोनों ट्रैक का काम तीव्र गति से करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें। यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है।

माननीय सभापति: श्री चन्देश्वर प्रसाद – उपस्थित नहीं।

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): माननीय सभापति महोदया, आपने विषम परिस्थितियों में भी जीरो ऑवर चलाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कपड़ा मंत्री, भारत सरकार का ध्यान हमारे संसदीय क्षेत्र कानपुर नगर में ब्रिटिश काल से चली आ रही लाल इमली मिल की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह मिल वर्ष 2013 से बंदी के कगार पर है, लेकिन इस मिल को सरकार द्वारा बंद घोषित नहीं किया जा रहा है। तीन साल से मिल के कर्मचारियों और मजदूरों का पैसा बकाया है। मैं इस मुद्दे को वर्ष 2019 में भी इस सदन में उठा चुका हूँ, लेकिन कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला है। अतः मेरा माननीय वस्त्र मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि कपड़ा मंत्रालय बीआईसी मिलों को आधिकारिक रूप से बंद करने की घोषणा करे और उनका पिछला जो वेतन बकाया है, देनदारियां हैं, उनका भी भुगतान करने की कृपा करे। तीन साल से मजदूरों को पैसा नहीं मिला है। उनके लड़के बीमार हैं, पढ़ाई के लिए नहीं जा पा रहे हैं और परिवार भुखमरी की कगार पर है। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें इस ओर तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैंने कई बार इस मुद्दे को पत्र के माध्यम से अधिकारियों से वार्ता करके उठाया है। उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है कि मिल बंद होगी और बकाया भुगतान होगा। लेकिन कब होगा? “का वर्षा जब कृषि सुखाने”, जब कर्मचारी मर जाएंगे, क्या तब भुगतान होगा?

महोदया, इस प्रकार की स्थिति से अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या दशा होगी? सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से एक बार उनको वेतन का भुगतान किया गया था। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय कपड़ा मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस बंद पड़ी कपड़ा मिल को आधिकारिक रूप से बंद करने की घोषणा करें तथा कर्मचारियों का जो बकाया है, चाहे वह फण्ड के रूप में हो, चाहे वह वेतन के रूप में हो, उसका भुगतान करवाएं। यही मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री टी. एन. प्रथापन जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री सुमेधानन्द सरस्वती जी।

...(व्यवधान)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा और उस परिस्थिति में अनेक ट्रेनें बंद हुईं। मेरे लोकसभा क्षेत्र की कुछ ट्रेनें भी बंद करनी पड़ी थीं। उसके बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती गई। लंबी दूरी की कुछ ट्रेनें वहां प्रारंभ कर दी गई हैं, परंतु जयपुर से सीकर हो कर के वाया लोहारू दिल्ली आने वाली ट्रेन जो सैनिक एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, वह अभी प्रारंभ नहीं हुई है। इसके साथ-साथ सीकर से जयपुर, सीकर से चुरू और सीकर से लोहारू, कई दैनिक लोकल ट्रेनें चलती थीं, वे भी बंद हैं। आपके माध्यम से मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि सीकर की आवश्यकताओं को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी कर्मचारी दिल्ली राजधानी होने के नाते उनका संपर्क रहता है तो वे यात्रा करते हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में आस-पास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में सैनिक हैं, जिनके लिए ट्रेन ही उपलब्ध होती है। मेरा निवेदन है कि शीघ्र सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल ट्रेनें चलाई जाएं। इसके साथ में रिंगा और सीकर के बीच में रानौली नामक एक स्थान पड़ता है। वहां एक गांव रेलवे लाइन के कारण दो स्थानों में बंट गया था। उसके लिए मैंने अंडर पास बनाने के लिए निवेदन किया था। वह अंडर पास स्वीकृत भी हो गया। उसका काम भी प्रारंभ हो गया। लेकिन कोरोना महामारी के कारण वह

काम बंद हो गया था। मेरा निवेदन है कि उस कार्य को प्रारंभ किया जाए और शीघ्र ही उस अंडर पास का भी निर्माण करवाया जाए। मैं आशा करूंगा कि माननीय रेल मंत्री जी इस काम को शीघ्र करवाने की कृपा करेंगे।

माननीय सभापति: सुश्री एस. जोतिमणि जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. ढालसिंह बिसेन जी।

...(व्यवधान)

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): सभापति महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज शून्य काल में आपने मुझे अपने क्षेत्र के विषय को उठाने का अवसर प्रदान किया है। महोदया, आप जानती हैं कि इस समय कोरोना के कार्यकाल में, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ गया। छात्रों को भी अपनी पढ़ाई डिजिटल तरीके से करनी पड़ गई। इन सबके कारण से नेट कम चलने से मेरे बालाघाट लोक सभा क्षेत्र में, साथ में शिवनी जिला भी है, इसमें नेट के नहीं चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां बीएसएनएल भी खराब काम करता है। वहां आइडिया भी काम नहीं कर रहा है और एयरटेल का भी वहां काम सही नहीं है और इनकी संख्या भी कम है। इसलिए मुख्यतः हमारा सरकारी बीएसएनएल ही बचता है। संख्या कम होने के कारण और नेट नहीं चलने के कारण से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हम डिजिटल लेन-देन नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के जितने कारोबार हैं, बैंक का लेन-देन नहीं हो पा रहा है। ये सारी दिक्कतें कोरोना काल में आई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बालाघाट क्षेत्र, जो हमारा नक्सल प्रभावित जिला है, यहां पर बीएसएनएल के टॉवर्स और बढ़ाए जाएं। साथ ही जियो, एयरटेल, रिलायंस आदि अन्य टॉवर्स की भी गुणवत्ता को ठीक किया जाए, जिससे

इनका नेट ठीक से प्राप्त हो सके और कॉल ड्रॉप की समस्या से भी निजात मिल सके। इस दृष्टि से काम किया जाए।

मैडम, इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे टॉवर्स इसलिए बंद पड़े हैं, क्योंकि उनकी बैट्रियां चोरी हो गई हैं। बिजली नहीं होने के कारण जब उनको बैट्री से चलना होता है तो बैट्री नहीं होने के कारण भी सारे टॉवर्स बंद पड़े हैं। इनको ठीक करने के लिए भी जो मैकेनिक लगाए गए हैं, जिनको टेंडर दिया गया है, उनका समय पर भुगतान नहीं होने के कारण वे लोग भी उस काम को डिले कर रहे हैं। इस तरह से क्षेत्र की जनता को बीएसएनएल, जियो, एयरटेल इन सभी से नेट नहीं मिलने के कारण और ठीक से व्यवस्था नहीं होने से भारी दिक्कत हो रही है। मैं अतिरिक्त टॉवर्स लगाने के साथ-साथ बीएसएनएल सहित बाकी कंपनियों का भी नेट ठीक चले, इस दिशा में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री डी. एम. कथीर आनंद जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री जसबीर सिंह गिल जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री उदय प्रताप सिंह जी।

...(व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।...(व्यवधान) जैसा कि हमें ज्ञात है श्रीमती

सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारत की महिला शिक्षिका थीं, जिनके द्वारा उनके पति ज्योतिराव गोविन्दराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा जगत के क्षेत्र में समाज सुधार हेतु अतुलनीय एवं उल्लेखनीय योगदान दिया गया था और जिन्हें हम आज भी स्मरण करते हैं।...(व्यवधान) भारत की पहली महिला शिक्षिका व समाज सुधारक के योगदान को याद करते हुए आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर 'शिक्षक दिवस' मनाया जाता है, के छाया चित्र के साथ-साथ स्वर्गीय श्रीमती सावित्रीबाई फुले के छाया चित्र को भी देश के प्रत्येक विद्यालय में स्थापित किया जाए, ताकि विद्यार्थी श्रीमती फुले के द्वारा शिक्षा जगत में किए गए योगदान व कार्य को याद कर उनका अनुकरण कर सकें।...(व्यवधान) मुझे लगता है कि यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी तथा इससे समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रो. रीता बहुगुणा जोशी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री गणेश सिंह।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री जगन्नाथ सरकार।

...(व्यवधान)

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा): मैडम, मेरा प्रस्ताव है कि बार्ली डिस्ट्रिक्ट, शोलापुर की टेक्सटाइल मिल आज बन्द होने जा रही है और उसमें जो 450 कर्मचारी हैं, उनके बेघर होने की नौबत आ गई है...(व्यवधान) सरकार इस पर ध्यान दे, मैं यह विनती इस सदन में करना चाहता हूँ...(व्यवधान)

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ...(व्यवधान)
...*(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Senior person is speaking, please.

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Chairperson, Mahatma Gandhi first visited Odisha on 23rd March, 1921, which is in its centenary year today. This was the year of Non-cooperation Movement and he propagated swadeshi and asked people to boycott what is 'foreign'. Cuttack, a hundred years ago had given him a rousing welcome starting from the railway station to Swaraj Ashram. In the afternoon, more than 50,000 people had congregated to listen to him, and this was in 1921 when Cuttack town itself had a population of only 20,000. That shows the amount of reverence that they had for Mahatma Gandhi. ...(*Interruptions*) Many had come just to have a glimpse of the Mahatma. Gandhi Ji travelled to Bhadrak on 25th of March, 1921, and subsequently went to Puri on 27th, and then went to

* Not recorded

Berhampur on 29th, where he addressed a large gathering and also propagated why non-cooperation is necessary. ...(*Interruptions*)

To commemorate the centenary year of Mahatma's first visit to Odisha, Cuttack town itself is organizing a grand affair and so also other five urban centres. On this occasion, to make it more commemorative, I would request the Central Government that a laser show may be organized on the banks of River Kathjodi, where the first meeting was held by Mahatma Gandhi and where he had addressed many people. A postal stamp commemorating that day also may be released along with display of Gandhi Ji's photograph at the five railway stations where he alighted from the train. ...(*Interruptions*)

Thank you very much for allowing me to raise this issue in this House today.
Thank you very much. ...(*Interruptions*)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय सभापति महोदया, हमें समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि वैसे तो हम सबके अधिकारों का हनन हो ही रहा है, हम बहुत सारे लोक महत्व के कार्य के बारे में, इस हल्ला-गुल्ला में, इनके डिस्टर्बेंस में नहीं बता पा रहे हैं।...(*व्यवधान*) फिर भी आपने मुझे बोलने का समय दिया, तो मैं 'दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था' विषय की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ।...(*व्यवधान*) दिल्ली में हमारे दिल्ली प्रदेश की जो भी सरकार है, यहां शिक्षा की व्यवस्था इतनी खस्ताहाल हो गई है कि जब हम स्कूलों में जाकर लड़कों से, बच्चों से बात करते हैं तो उनकी शिकायत है कि मात्र एक से डेढ़ घंटे ही पढ़ाई हो रही है।...(*व्यवधान*) एक से डेढ़ घंटे की पढ़ाई के बाद बच्चे परेशान हैं।...(*व्यवधान*) एक स्कूल तो हमको ऐसा भी मिला, जहाँ एक बच्चा तीन ही दिन

पढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वह सुबह पढ़ रहा है, शाम पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल में उतने बच्चों की संख्या नहीं है...(व्यवधान) ऐसे में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में, जो दिल्ली का उत्तर-पूर्वी लोक सभा क्षेत्र है, उसमें एक नवोदय विद्यालय देने की कृपा करें...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से इस संबंध में प्रार्थना करता हूँ, ताकि हम दिल्ली के बच्चों को उचित शिक्षा दे सकें...(व्यवधान) इसके कारण पिछले पाँच साल में करीब साढ़े पाँच लाख बच्चे फेल हो चुके हैं...(व्यवधान) यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। हम अपने क्षेत्र में दिल्ली सरकार के भरोसे शिक्षा को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहाँ एक नवोदय विद्यालय देने की कृपा करें...(व्यवधान)

महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं इस सदन और माननीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि पूरे बिहार में एकमात्र अभ्यारण्य मेरे जिले में बाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व के रूप में है...(व्यवधान) मेरे क्षेत्र में बहुत सारे बिहार के बच्चे और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के बच्चे भी उस जंगल को देखने आते हैं, घूमने आते हैं। वहाँ जो बच्चे आते हैं, वे कुछ सीखने के लिए आते हैं। वे जिन जानवरों को देखना चाहते हैं, उन जानवरों को वे देख नहीं पाते हैं...(व्यवधान) इसलिए, आपके माध्यम से मेरा माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से अनुरोध रहेगा कि बेतिया शहर से केवल तीन किलोमीटर की दूरी पर 10 हेक्टेयर का एक उदयपुर बर्ड सैंक्चुरी है। उसके साथ ही एक बहुत खूबसूरत जंगल भी है...(व्यवधान) अगर वहाँ पर एक चिड़ियाघर खोला जाए तो उत्तर बिहार के सभी बच्चों को शैक्षणिक रूप से सीखने और देखने का एक मौका मिलेगा। वह जंगल बहुत ही पुराना है। हमारे यहाँ वह बाल्मिकी जी की तपोभूमि रही है...(व्यवधान) अगर मेरे बैरिया प्रखंड में एक चिड़ियाघर माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी देते हैं, तो उत्तर बिहार के न केवल बच्चों

को, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से बाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व में हमारे जो साथी घूमने आते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी देखने की चीज होगी। बिहार के पर्यटन में इससे काफी लाभ होगा। ... (व्यवधान)

महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया।... (व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदया, मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी जिले में अवस्थित रीगा चीनी मिल का काफी समृद्धशाली अतीत रहा है।... (व्यवधान) लेकिन हाल के कुछ वर्षों से रीगा चीनी मिल आर्थिक बदहाली का सामना कर रही है। रीगा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा वित्तीय समस्याओं के कारण इस वर्ष मिल के परिचालन से मना कर दिया गया है।... (व्यवधान) जबकि अभी भी मिल के ऊपर किसानों के गन्ने का लगभग 70 करोड़ रुपये एवं उसमें काम करने वाले मजदूरों, कर्मचारियों का लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।... (व्यवधान) मिल बंद होने से रीगा एवं इसके आसपास के सैकड़ों ग्राम के किसानों में काफी निराशा एवं असंतोष का माहौल है। ... (व्यवधान) क्योंकि, सैकड़ों ग्राम के किसानों की रोजी रोटी सीधे तौर पर इस मिल से जुड़ी हुई है। रीगा चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र में प्रतिवर्ष लाखों क्विंटल गन्ने की खेती किसानों द्वारा की जाती है। इस वर्ष भी रीगा चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र में 15 लाख क्विंटल गन्ने की खेती किसानों द्वारा की गई है।... (व्यवधान) वे लोग इसको औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं।... (व्यवधान) यदि यह मिल स्थायी तौर पर बंद हो जाती है तो किसानों की पहले से बकाया राशि का भुगतान भी नहीं हो पाएगा तथा इस इलाके के गन्ना किसानों को उनके गन्ने का खरीददार भी नहीं मिलेगा। इसके कारण यहाँ के किसानों को मजबूरी में अपनी एकमात्र नकदी फसल की खेती को छोड़ना पड़ेगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी।... (व्यवधान) बिहार में वैसे ही कल-कारखानों की भारी कमी है तथा गिनी-चुनी चीनी मिलें ही चालू

अवस्था में हैं। ऐसी परिस्थिति में रीगा चीनी मिल, जो बिहार की सबसे पुरानी चीनी मिलों में से एक है, इसका बंद होना क्षेत्र के किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाये जाएं, जिससे कि उपरोक्त रीगा चीनी मिल को बंद होने से बचाया जा सके। ... (व्यवधान)

महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ... (व्यवधान)

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से जल मंत्री जी का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं बुन्देलखंड से आता हूँ और बुन्देलखंड में जैसे सभी को पता है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। ... (व्यवधान) बुन्देलखंड में बहुत पुराने-पुराने डैम्स भी हैं और हम सब लोग जानते हैं कि अब नए बड़े डैम्स बनना संभव ही नहीं है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता था कि हमारे डैम्स की डीसिल्टिंग हो जाए तो वहाँ से मिट्टी निकालकर हम अपने किसान भाइयों को दे सकें, जिससे वे उस मिट्टी को अपने खेतों में बिछा लें। डीसिल्टिंग से डैम्स में विशेष रूप से माताटीला, सुकमा दुकमा, पारीचा, राजघाट, जितने भी डैम्स हैं, इन सब डैम्स की 30 से 50 परसेंट कैपेसिटी बढ़ सकती है। मेरा माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है।

दूसरा, एक और उनसे आग्रह था कि पूर्व में चंदेला डाइनेस्टी, जो पूरे बुन्देलखंड में राज करती थी, उन्होंने 2 हजार से ज्यादा बावलियाँ बनाईं। ये बहुत सुन्दर-सुन्दर बावली हैं। मंत्री महोदय खुद ही राजस्थान से आते हैं। इन्होंने स्टेप वेल्स बहुत अच्छी तरह से देखे हैं। अगर उसके लिए हमें कुछ

धनराशि आवंटित हो जाए तो हमारे स्टेप वेल्स और विशेष रूप से इनके सुन्दरीकरण और पानी के स्रोत हम शुरू कर सकेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Respected Madam, thanks for giving me an opportunity to raise a matter in the public interest. ...(*Interruptions*)

I have the honour to request you, Madam, that many people from Karnataka are working in the Central Government in different categories in Jammu and Kashmir and they may be posted anywhere in India. ...(*Interruptions*) The biggest problem, which they are facing is inconvenience to reach their hometown during their leave period from Jammu to Karnataka as there is not even a single direct train for their journey. ...(*Interruptions*) Earlier, two trains were started from Bengaluru to Katra *via* Delhi and Jammu in 2014, but after few months they were stopped. ...(*Interruptions*)

I would like to request you to kindly instruct the Railway Department to start both these trains again from Bengaluru to Jammu - Katra *via* Bellary, Gulbarga, Hubli and Belagavi with compulsory stoppage at Ambala, Ludhiana, Jalandhar and Pathankot as many of the Central Government employees from Karnataka are posted in this belt. ...(*Interruptions*)

This small request may be much beneficial for all those employees to reach their destination without wasting their time and we can give a reason for their families to smile. ...(*Interruptions*) Thank you very much. ...(*Interruptions*)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। दक्षिणी दिल्ली के अंदर संगम विहार और देवली एरिया है, उस क्षेत्र में 6-7 लाख लोग रहते हैं। वहां आवागमन के लिए एम. बी. रोड से मात्र तीन या चार रास्ते हैं, जो शूटिंग रेंज से है, रतिया मार्ग से है, टिगरी से है और मंगल बाजार से है। सात लाख लोग हैं, उनको हृदयघात की कोई बीमारी हो जाए और चूंकि वह 25-30 फुट से ज्यादा की रोड नहीं है, तो इससे उनको परेशानी होती है, वहां बाहर के लोग आकर बसे हुए हैं, गरीब लोग रहते हैं। उसके बराबर में दक्षिण के अंदर और पूर्व के अंदर रिज एरिया की जमीन है। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने उत्तरांचल और हिमाचल की समस्याओं को देखते हुए देश में जावड़ेकर जी के द्वारा कानून में अमेंडमेंट किया था। फॉरेस्ट की लैंड, स्टेट गवर्नमेंट में रिज मैनेजमेंट बोर्ड का चीफ मुख्यमंत्री होता है।

21.00hrs

उसके माध्यम से ग्राम पंचायत की जमीन रिज में ट्रांसफर कर सकते हैं। ... (व्यवधान) रिज की जमीन को लोगों के आवागमन के लिए दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल ... * मुख्यमंत्री हैं। ... (व्यवधान) वहां पर बीस-बाईस फुट का रोड है, छह-सात लाख लोग काम धंधे के लिए दोनों टाइम दो-दो घंटे बेचारे जाम में फंसे रहते हैं। ... (व्यवधान) संगम विहार के साथ-साथ वहां जो फॉरेस्ट की लैंड है, उसके साथ-साथ एक साठ फुट का रोड और सौ बीघा जमीन असोला-फतेहपुर ग्राम पंचायत की है, ... (व्यवधान) उसको वह ट्रांसफर कर दें। उन लोगों के लिए एक बाईपास रोड शूटिंग रेंज से मिला दें, एक असोला बर्ड सैंक्चुरी की तरफ से मिला दें, ऐसे लोगों को राजधानी दिल्ली में रहने के लिए एक सही रास्ता मिलेगा और लोगों को जाम से निजात मिलेगी। जो गुलामी का जीवन जीने को मजबूर हैं। ... (व्यवधान) आपने उन सात लाख लोगों की समस्याओं के लिए पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया।

* Not recorded

केन्द्र सरकार ने जो कानून बनाया है, मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि एक ऐसा कानून लाए, ... (व्यवधान) दिल्ली के मुख्यमंत्री ... * हैं, ऐसे कामों को करने में ... * डालते हैं। ... (व्यवधान) उसकी शक्तियों को एल.जी को ट्रांसफर किया जाए, एल.जी को अधिकार हो कि गरीब लोगों की समस्याएं, जनहित की समस्याओं में ऐसे कदम उठा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH ISSUES
RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
डॉ. निशिकांत दुबे	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री विष्णु दयाल राम	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री सत्यदेव पचौरी	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री सुमेधानन्द सरस्वती	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
डॉ. ढालसिंह बिसेन	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री उदय प्रताप सिंह	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल डॉ. निशिकांत दुबे श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
श्री भर्तृहरि महताब	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री मनोज तिवारी	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल

* Not recorded

डॉ. संजय जायसवाल	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्रीमती रमा देवी	श्री मलूक नागर
श्री अनुराग शर्मा	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल श्री मलूक नागर
श्री रमेश बिधूड़ी	श्री मलूक नागर

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 5 फरवरी, 2021 को दोपहर चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

21.01 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock on
Friday, February 5, 2021/Magha 16, 1942 (Saka)*
